न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 464 सन 2020

उनवान :-

1. देवीलाल पुत्र स्व रणजीतसिह जाति अहीर साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. भानीराम पुत्र रणजीतसिह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. शेरसिह पुत्र रणजीतसिह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर
3. रूकमा पत्नि रणजीतसिह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर
4. लिछमा पुत्री रणजीतसिह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर
5. सुनित पुत्री रणजीतसिह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर
6. सुमित्रा पुत्री रणजीतसिह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर
7. कलावती पुत्री रणजीतसिह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर
8. अशोक कुमार पुत्र बिमला पुत्री रणजीतसिह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. ममता पुत्री बिमला पुत्री रणजीतसिह जाति अहिर निवासी नहराना तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 30/07/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 81/79 की कुल 16.4260है० भूमि में सयुक्त तोर से 1/5 हिस्सा रणजीतसिह पुत्र महिपत के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता रणजीतसिह पुत्र महिपत के देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान रणजीतसिह की पत्नि प्रतिवादी संख्या 3 , पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 व पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 एवं रणजीतसिह की मृतक पुत्री बिमला के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 8 ,9 है अर्थात रणजीतसिह पुत्र महिपत के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 वादी की बहन/माता है एवं रणजीतसिह पुत्र महिपत की पुत्री/पत्नी है प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

1 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता रणजीतसिह पुत्र महिपत के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज जिनका देहान्त हो चुका है रणजीतसिह पुत्र महिपत के जायज व कानुनी वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 पैरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण मे प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य मे वादी ने अपना शपथ-पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 81/79 की कुल 16.4260हैक्ट भूमि मे सयुक्त तोर से 1/5 हिस्सा रणजीतसिह पुत्र महिपत के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व मे वादी के पिता रणजीतसिह पुत्र महिपत के देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान रणजीतसिह की पत्नी प्रतिवादी संख्या 3 , पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 व पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 एवं रणजीतसिह की मृतक पुत्री बिमला के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 8 ,9 है अर्थात रणजीतसिह पुत्र महिपत के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 वादी की बहने/माता है एवं रणजीतसिह पुत्र महिपत की पुत्री/पत्नी है प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष मे किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध मे कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 81/79 की कुल 16.4260हैक्ट भूमि में सयुक्त तोर से 1/5 हिस्सा रणजीतसिह पुत्र महिपत के नाम सें दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पिता रणजीतसिह पुत्र महिपत का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं मृतक पुत्री बिमला के वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से पूर्णतया साबित है रणजीतसिह पुत्र महिपत के नाम दर्ज भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 81/79 की कुल 16.4260हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा रणजीतसिह पुत्र महिपत के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र स्व रणजीतसिंह जाति अहीर साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1 भानीराम पुत्र रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. शेरसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर
3. रूकमा पत्नि रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर
4. लिछमा पुत्री रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर
5. सुनित पुत्री रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर
6. सुमित्रा पुत्री रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर
7. कलावती पुत्री रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर
8. अशोक कुमार पुत्र बिमला पुत्री रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. ममता पुत्री बिमला पुत्री रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी नहराना तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 464 सन 2020 निर्णय दिनांक– 30/9/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 81/79 की कुल 16.4260हैक्टेयर भूमि में सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा रणजीतसिंह पुत्र महिपत के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर